In the Court of the District and Sessions Judge, Laitpur.

Sessions Case/260/2025

STATE OF U.P. Vs. Virendra Ahirwar and Anr.

C H A R G E

मैं, नरेन्द्र कुमार झा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ललितपुर आप अभियुक्तगण वीरेन्द्र सिंह अहिरवार पुत्र हरनाम सिंह अहिरवार निवासी हनुमान सागर, थाना कोतवाली टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ व विकास अहिरवार पुत्र कालीचरन, निवासी मुहल्ला रौरेया, थाना कोतवाली टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ:–

1. यह कि घटना की दिनाँक 07.07.2024 को समय किसी अज्ञात स्थान जुगपुरा की बयरे वाली तलइया पर आप अभियुक्तगण द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में गमछे से मृतका का गला घोंटकर व पत्थर से सिर पर वार करके उसकी हत्या कारित की गयी। इस प्रकार आप अभियुक्तगण द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया है, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) सपठित धारा 3(5) के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2. यह कि घटना की दिनाँक, समय व स्थान उपरोक्त आप अभियुक्तगण द्वारा मृतक की हत्या करके स्वयं को बचाने के उद्देश्य से मृतक के शव को तलाब में फेंक दिया और मृतक के घर वालों द्वारा पूछने पर टाल–मटौल कर कुछ नहीं बताया गया। इस प्रकार आप अभियुक्तगण द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया है, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 238 के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाये एवं समझाये गये। अभियुक्तगण ने लगाए गए आरोप से इंकार किया तथा विचारण चाहा।

दिनॉक–24.04.2025

(नरेन्द्र कुमार झा)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ललितपुर।

एतद्द्वारा आपको निर्दिष्ट किया जाता है कि उक्त आरोप के तहत आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनॉक–24.04.2025

(नरेन्द्र कुमार झा)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ललितपुर।

Digitally signed by NARENDRA KUMAR JHA
Date: 2025.04.24 15:27:31 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

In the Court of the District and Sessions Judge, Laitpur.

Sessions Case/260/2025

STATE OF U.P. Vs. Virendra Ahirwar and Anr.

24.04.2025

पत्रावली पेश हुयी। पुकार करायी गयी। अभियुक्तगण समक्ष न्यायालय उपस्थित हैं। पत्रावली आज आरोप पर सुनवाई हेतु नियत है।

अभियुक्तगण की ओर से विद्वान सी.डी.सी. तथा राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (आपराधिक) के आरोप पर तर्क सुने तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभियुक्तगण की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप विरचित किये जाने के पर्याप्त आधार नहीं है तथा उन्हें उन्मोचित किये जाने की प्रार्थना की गयी। जिसके जवाब में विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा मृतक का गला घोटकर व सिर पर पत्थर से वार करके उसकी हत्या कारित की गयी है तथा साक्ष्य का विलोप करने के उद्देश्य से मृतक के शव को तलाब में फेंक दिया गया। इसलिए अभियुक्तगण पर आरोप विरचित किये जाने के पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 103(1) सपठित धारा 3(5), 238 भारतीय न्याय संहिता के आरोप अधिरोपित किये जाने हेतु इस स्तर पर प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं।

अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 103(1) सपठित धारा 3(5), 238 भारतीय न्याय संहिता के आरोप पृथक पृष्ठ पर विरचित किये जाते हैं।

दिनॉक–24.04.2025

(नरेन्द्र कुमार झा)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ललितपुर।